संख्या:-22/2023/1/383175/002-38-4002-099-5-2021

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 06 सितम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत किये जाने वाले केन्द्रांश की प्रत्याशा में अग्रिम राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-103/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0अ0यो0-ग्रा0(13)/2023-24, दिनांक-07.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु आंवटित आवास लक्ष्य के सापेक्ष अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले केन्द्रांश की प्रत्याशा में सामान्य वर्ग के सभी लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु अग्रिम राज्यांश की धनराशि रूपये 57555.20 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सामान्य मद(अनुदान संख्या-13) में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की प्रत्याशा में लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि दिये जाने हेतु अग्रिम राज्यांश की धनराशि रूपये 17266.56 लाख (रूपये एक अरब बहत्तर करोड़ छाछठ लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-13 में आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(3) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(8) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023, दिनांक 01 अगस्त, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में अन्तरित की जायेगी।

(11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3. इस संबंध में राज्यांश में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-42-अन्य व्यय" नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-121/दस-2023-24, दिनांक 01 सितम्बर, 2023 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।

संख्या:-22/2023/1/383175(1)/002-38-4002-099-5-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10)वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0स0) अनुभाग।
(11) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(12) श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) गार्ड बुक।

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।